न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–106/20 (2020/00167) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–सायरीबाई पत्नि मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1–उदयलाल पिता शिवलाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–मगनीदेवी पुत्री शिवलाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–धनराज पिता नाथु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिश टेलर – प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.11.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1737 रकबा 0.40 है0 एवं 1722 रकबा 0.36 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीया अपनी कृषि आराजियात नम्बर 1737 व 1722 में संज, बैल, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन ग्राम नाथड़ियास की बिलानाम आराजी संख्या 1746 जो रास्ते के रूप मे ही उपयोग आ रही है में होकर आगे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पिता शिवलाल पिता नाथु जाट के नाम दर्ज आराजी संख्या 1742 की दक्षिणी पाली पर होकर 15 फीट चौड़े रास्ते से होकर करती चली आ रही है। तथा इस रास्ते में शिवलाल जाट ने आवागमन करने से कभी नही रोका, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने से विपक्षीगण संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार शिवलाल के वारीस है व विपक्षी संख्या 3 जो रास्ते की किसी भी आराजी के खातेदार नही है किन्तु उसने बिलानाम आराजी संख्या 1746 पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थीयां के उक्त रास्ते को दिनांक 01.07.2020 को विपक्षीगण 1 व 2 के साथ मिलकर बन्द कर दिया और प्रार्थीया को धमकी दी की आज के बाद इस रास्ते से आवागमन करने का प्रयास किया तो परिणाम अच्छा नही होगा। रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थीया को अपनी कृषि आराजियात पर आवागमन करने हेतु उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया अपनी कृषि आराजियात नम्बर 1737 व 1722 में संज, बैल, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन ग्राम नाथड़ियास की बिलानाम आराजी संख्या 1746 जो रास्ते के रूप मे ही उपयोग आ रही है में होकर आगे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के पिता शिवलाल पिता नाथु जाट के नाम दर्ज आराजी संख्या 1742 की दक्षिणी पाली पर होकर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है, को किस्म बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीमात की जाने एवं उक्त रास्ते को सदैव खुलासा करने का आदेश प्रदान करवाया जावे तथा साथ ही विपक्षी संख्या 3 धनराज का बिलानाम आराजी संख्या 1746 पर जो अवैध अतिक्रमण है को तुरन्त प्रभाव से हटाने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.29 13:48:48 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जावें, एवं विपक्षीगण को उक्त रास्ता सदैव खुला रखने हेतु पाबन्द रहने हेतु आदेश प्रदान करवाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 14.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हुए परन्तु प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 दोनो ही उनकी आराजी संख्या 1742 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करने में सहमत है और मोके पर रास्ता भी बना दिया गया है व मुआवजा राशि भी प्राप्त कर ली है इसलिए रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जाना नितान्त आवश्यक है व विपक्षीगण संख्या 3 धनराज व 4 सरकार के विरूद्व कोई कार्यवाही व अनुतोष नही चाहते है इसलिए उनके विरूद्व प्रार्थना पत्र विड्रो करना चाहते हैं।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात 1742 जो विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता शिवलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त आराजी में रास्ता देने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नही होकर स्वयं विपक्षी 1 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति व्यक्त करते हुए अंकन किया कि आराजी नम्बर 1742 की दक्षिणी पाली पर 15 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर दे दिया है और मुआवजा राशि भी आपस में प्राप्त कर ली है एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 कोई सहायता नही चाही गई है। जब विपक्षी 1 व 2 के द्वारा अपनी आराजी में रास्ता देने में सहमति व्यक्त कर ली गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर एवं रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि आपस में प्राप्त कर लेने पर ग्राम नाथड़ियास की आराजी नम्बर 1742 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता की 150 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-11-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.29 13:48:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—106 / 20 (2020 / 00167) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—सायरीबाई पत्नि मगनीराम जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—उदयलाल पिता शिवलाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मगनीदेवी पुत्री शिवलाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—धनराज पिता नाथु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर एवं रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि आपस में प्राप्त कर लेने पर ग्राम नाथड़ियास की आराजी नम्बर 1742 की दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता की 150 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12.11.2020
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.29 13:48:48 IST
Reason: SelfAttested